

न्यायालय तहसीलदार, फतेहपुर जिला सीकर

| न० | दायर दिनांक | अ० धा० | निर्णय दिनांक |
|-----|-------------|----------------|---------------|
| /20 | 21.09.19 | 91 एल०आर० एक्ट | 22.12.2020 |

रकार बनाम रामदेव डोटासरा जाति-जाट, निवासी-नारसरा तहसील फतेहपुर

22.12.2020 पत्रावली आज पेश हुई । गैरसायल अनुपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बांठोद ने सम्वत 2077 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि **मोजा ग्राम नारसरा के राजकीय भूमि ख०न० 189 रकबा 15.32 है० किस्म चारागाह में से 0.02 है० पर रामदेव डोटासरा जाति-जाट, निवासी-नारसरा तहसील फतेहपुर ने बाड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है ।** रिपोर्ट पटवारी हल्का बांठोद के आधार पर प्रकरण राज० लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को अ० धा० 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलबी वास्ते जवाबदेही की गई । गैरसायल ने जवाब नोटिस पेश नहीं किया गया । अतः गैर सायल के विरुद्ध दिनांक 15.10.2020 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । गैर सायल के विरुद्ध पटवारी हल्का बांठोद की रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 22.12.2020 को बेदखली की कार्यवाही अमल में लाई गई ।

रिपोर्ट पटवारी हल्का बांठोद एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । गैर सायल द्वारा अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित होता है । अतः गैर सायल को राज० लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा गैर सायल **रामदेव डोटासरा जाति-जाट, निवासी-नारसरा तहसील फतेहपुर के राजकीय भूमि ख०न० 189 रकबा 15.32 है० किस्म चारागाह में से 0.02 है० भूमि से आदेश बेदखली पारित किया जाता है ।** भू०अ०नि० फतेहपुर को आदेश दिया जाता है कि गैर सायल को अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट पेश करें ।


गैर सायल द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान **00.10 रु का 50 गुणा तावान की कुल राशि 05/-** रुपये बतौर शास्ती आरोपित किये जाते हैं । तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को मांग कायमी एवं वसूली हेतु लिखा जावें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो । निर्णय आज दिनांक 22.12.2020 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

श.म.प.प.प. 2024
 डे.प.न. 29 पर
 राशि 05/- कायम

804
 17/3/24




 तहसीलदार
 तहसील फतेहपुर सीकर
 फतेहपुर (सीकर)